न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 106 ए/2020
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 19/10/2020
निर्णय दिनांक : 01/03/2021

कालूराम उम्र 34 साल पुत्र नान्छीलाल, जाति जाट,निवासी 388, मां हिंगलाज नगर, गांधीपथ, वेस्ट लालरपुरा/पांच्यावाला, जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र नान्छीलाल, जाति जाट, निवासी 388, मां हिंगलाज नगर, गांधी पथ वेस्ट लालरपुरा, पांच्यावाला, जयपुर, राज0।
2. महेन्द्र पुत्र नान्छीलाल जाति जाट, निवासी 388, मां हिंगलाज नगर, गांधी पथ वेस्ट लालरपुरा, पांच्यावाला, जयपुर, राज0।
3. जगदीश पुत्र नान्छीलाल, जाति जाट, निवासी 388, मां हिंगलाज नगर, गांधी पथ वेस्ट लालरपुरा, पांच्यावाला, जयपुर, राज0।
4. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा

(अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 व 136 एल.आर.एक्ट)

उपस्थिति – श्री त्रिलोकेश सिंह
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री रामरतन मीणा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 01/03/2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के आराजी खाता संख्या 186 के आराजी खसरा नम्बर 1436 रकबा 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.49 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 400 के आराजी खसरा नम्बर 1313 रकबा 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1314 रकबा 4.1700 हैक्टेयर वाके ग्राम गिदी, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं हाल खसरा नम्बर 1436, 1437 के साबिक खसरा नम्बर 784 एवं हाल खसरा नम्बर 1313, 1314 के साबिक खसरा नम्बर 647 है, जो कि मिलान क्षैत्रफल से साबित है

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने दिनाक 14/06/1999 को हस्तगत प्रकरण दर्ज उक्त विवादित आराजी को कय कर अपने नाम बराबर बराबर नाम दर्जकरवायी थी तथा वादी एवं प्रतिवादी उक्त हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादित आराजी पर बराबर बराबर काबिज रहकर ही काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 सगे भाई है तथा वादीको बचपन में रमेश के नाम से जाना जाता था इसलिये विकय–पत्र में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 द्वारा उक्त आराजीयात को क्रय करते समय वादी का नाम विकय पत्र में रमेश दर्ज करवा दिया था विक्रय पत्र के आधार पर ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 के बराबर बराबर नामान्तरकरण खोला जाकर जमाबन्दी में वादी का नाम रमेश अंकन करदिया तब से लेकर आज दिनांक राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेश दर्ज चला आ रहा है लेकिन वादी का नाम सभी अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड, परिचय–पत्र, राशनकार्ड ड्राईविग लाईसेन्स में कालूराम दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में रमेश दर्ज है, जबकि रमेश एवं कालूराम एक ही व्यक्ति है तथा वादी कालूराम प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 के सगे भाई है इसलिये हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादित आराजी में रमेश के नाम को दुरूस्त किया जाकर रमेश के स्थान पर कालूराम प्रतिस्थापित कर वादी कालूराम को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रमेश के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। दिनांक 15/10/2020 को वादी द्वारा तहसीलदार महोदय मौजमाबाद के यहां सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रमेश दर्ज होने एवं अन्य दस्तावेजात में कालूराम होने से किसान कार्ड बनाने से मना करने से वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है एवं वाद पेश किया गया हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद बहक वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज विवादित आराजी में दर्ज वादी के नाम रमेश को दुरूस्त फरमाया जाकर रमेश केस्थान पर कालूराम प्रतिस्थापित किया जाकर कालूराम को रमेश के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं पालनार्थ तहसीलदार महोदय मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 01/02/2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 की ओर से श्री रामरतन मीणा

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) दूदू

एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 24/02/2021 को विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076, मिलान क्षैत्रफल, विकय–पत्र दिनांक 16/09/1999 आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वर्तमान जमाबन्दी में अन्य खातेदारान के साथ वादी का नाम रमेश दर्ज है, उक्त आराजीयात वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र के द्वारा कय की गयी है, जिसमें भी अन्य भाईयों के साथ वादी का नाम रमेश दर्ज है, वादी के कथनानुसार वादी का नाम कालूराम भी है, इसलिये उक्त राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम रमेश के स्थान पर कालूराम होना चाहिये। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के यहां पर वादी को घर पर कालूराम पुकारा जाना पाया जाता है, इसलिये राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम रमेश के स्थान पर कालूराम दर्ज किया जाना उचित पाया जाता हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त यह पाया जाता है कि वादी ने अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त खाता संख्या 186 के आराजी खसरा नम्बर 1436 रकबा 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.49 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 400 के आराजी खसरा नम्बर 1313 रकबा 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1314 रकबा 4.1700 हैक्टेयर वाके ग्राम गिदानी, तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदार रमेश को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर कालूराम दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 1/3/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

कालूराम पुत्र नान्छीलाल जाति जाट नि. हिंगलाजनगर पांच्यावाला, जयपुर राज. बनाम ① कैलाश ② महेन्द्र ③ जगदीश पुत्रान नान्छीलाल नि. हिंगलाज नगर पांच्यावाला जयपुर ④ तहसीलदार मौजमाबाद

दावा बावत

मुकदमा नं. सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू अधि. श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी

व हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू अधि. श्री रामरतन मीणा

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त खातासं. 186 के आराजी खसरा नं. 1436 रकबा 3.1500 हैक्टे; ख.नं. 1437 रकबा 0.49 हैक्टे; व खाता सं. 400 के आराजी ख.नं. 1313 रकबा 3.1500 हैक्टे; ख.नं. 1314 रकबा 4.1700 हैक्टे; वाके ग्राम गिदानी, तह. मौजमाबाद में दर्ज खातेदार रमेश को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर कालूराम दर्ज किया जाता है।

~~मिन~~ ~~मुवक्लिम~~ ~~मास~~

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह फीसदी ... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

आज ता. मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 03 सन् 2021 को

जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बयान सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए